न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/117/2009 वाद — दायर दिनांक 27.04.2009

उनवान

1. दीपचन्द पिता फुला जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	1. मोहनीदेवी पत्नी नगजीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 2. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ. (राज0)।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच — –वादी
अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव — –प्रतिवादी सं0 1

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 06.11.2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में आराजी सं0 1492 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1493 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1494 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1495 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1496 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1497 रकबा 0.13 है0, कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 0.71 हैक्टेयर स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज होकर हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में है।

यह कि वादी आराजीयात जैरबहस का अपना हिस्सा अपनी सही अन्य आराजीयात से जोता बोता आ रहा है और मुक्कमल बंटवाडा नहीं है जिससे हिस्से की सीमाबन्दी जोने बोने, फसल लेने, लगानी जमा कराने में प्रतिवादी सं0 एक से अक्सर परेशानी रहती है, बिना विवाद किए बंटवाडा कराने हेतु वादी ने प्रतिवादी सं0 एक को कहा जिस पर मना भी नही किया सहमति भी नहीं दी समय नहीं होना बताया जिससे वादी उल्लेखित आराजीयात में अपना 1/15 हिस्सा उपरोक्तानुसार अपने हक में बंटवाडा व लगानबन्दी अलग करने की प्रार्थना करता है।

यह कि प्रतिवादी सं0 एक को बिना विवाद किए सहमति से बंटवाडा करने के लिए दिनांक 01.01.2009 को कहा समय नही होना बताकर मना कर दिया जिससे बिनाय दावा उक्त दिनांक को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि –
–– वाद उल्लेखित आराजीयात बंटवाडा डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वादी हिस्सा 1/15 हक मिट्स एण्ड बॉण्ड पर वादी के हक में बंटवाडा अलग फरमा लगानबन्दी अलग दर्ज फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव द्वारा पूर्व में अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 08.07.2010 को प्रथक से तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी वाद कॉलम सं0 1 उल्लेखित आराजीयात का अपना हिस्सा 1/15 का बटवाडा करवाने का अधिकारी है–

–जिम्मेवादी

2. दादरसी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

साक्ष्यवादी में वादी दीपचन्द पिता फूलचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 है। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्ण की गयी।

साक्ष्यप्रतिवादी में वकील प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये व सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी जाकर उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.07.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 25.07.2024 से शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 06.11.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी सं0 1492 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1493 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1494 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1495 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1496 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1497 रकबा 0.13 है0, कुल खसरा 6 कुल क्षेत्रफल 0.71 हैक्टेयर स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 08.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. दीपचन्द पिता फुला जाति गाडरी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1492/1	0.0250
2	1493/1	0.0250
योग	कुल किता–02	0.05

2. मोहनीदेवी पत्नी नगजीराम जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1492 मी0	0.0850
2	1493 मी0	0.0850
3	1494	0.12
4	1495	0.12
5	1496	0.12
6	1497	0.13
योग	कुल किता–06	0.66

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)